

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापति करने हेतु 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' शुरू की गई।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम वभाग के सचिव पी. नरहराज ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में योजना का प्रस्तुतीकरण किया।
- इस नई योजना में वनिरिमाण इकाई और उद्यम स्थापति करने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए, जबकि सेवा क्षेत्र के लिये 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये मिलेगा। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे। इस योजना में वित्तीय सहायता के लिये आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। पात्रता उन्हीं आवेदकों को होगी, जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के डफाल्टर न हों। इसी तरह आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का हतिग्राही न हो।
- इस योजना में वित्तीय सहायता में ब्याज अनुदान योजनांतर्गत सभी वर्ग के हतिग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दिया जाएगा।
- जिस अवधि के दौरान हतिग्राही का ऋण खाता एन.पी.ए. बना रहता है, उस अवधि के लिये कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिवर्षिक आधार पर दी जाएगी।
- योजना में गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। योजना का क्रयान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का क्रयान्वयन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।